मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 31, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 146 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 69 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है तद्नुसार, निम्नलिखित सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन से उन्हेल तथा नागदा से धिनोदा सड़क के मोड़ों को सीधा नहीं किये जाने,
(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ के ग्राम अरन्या में छापी नदी पर बैराज निर्माण न होने,
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की जावरा के भीमाखेड़ी के रेल्वे क्रासिंग से चुरूदाल मिल तक की सड़क जर्जर होने,
(4) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य की डोमी में शाला भवन जर्जर होने,
(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले में कृषकों को कृषि कार्य हेतु लिए गये ऋणों में ब्याज की छूट न मिलने,
(6) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के विद्यालयों की मान्यता की फीस छात्रों से वसूली जाने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम पीपल झरी शहीद सैनिक के परिजन को शासकीय सेवा में न लेने,
(8) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की जबलपुर-अमरकंटक सड़क क्षेत्र की नदियों पर पुल का निर्माण न करने,
(9) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की रामपुर बघेलान में एक व्यक्ति की हत्या होने,
(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश में कालोनियों का नामांतरण न किये जाने,
(11) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट के ग्रामों का विद्युतीकृत न किये जाने,
(12) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की गाडरवारा के ग्राम रमपुर में आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा किये जाने,
(13) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले में अपराधिक गतिविधियां बढ़ने,
(14) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के कोठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण न होने,
(15) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह विधान सभा से अधिक लोड़ के कारण ट्रान्सफार्मरों के जलने,
(16) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की इन्दौर जिले के विजय नगर संकुल केन्द्र के उप शिक्षकों को नियमित वेतन न दिये जाने,
(17) श्री मूल सिंह, सदस्य की अशोकनगर के ग्राम नई सराय में बालिका छात्रावास की छात्राओं को करेंट लगने,
(18) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की सिरमौर की जवा उप तहसील में स्टाफ न होने,
(19) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले में नवेगांव से गेरी सड़क का कार्य अपूर्ण होने,
(20) श्री जेवियर मेड़ा, सदस्य की प्रदेश में ड्रग ट्रायल्स होने,
(21) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की छतरपुर के लवकुश नगर स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों के उपस्थित न रहने,
(22) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के ग्रामों में पाले के नुकसान का आकलन कम किये जाने,
(23) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर में रोगी कल्याण समितियों की बैठक शीघ्र करने,
(24) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया हेतु भवन निर्माण किये जाने,
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में राज्य ओपन स्कूलों में छात्रों को न पढ़ाये जाने,
(26) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम मलवासा के हाई स्कूल को उन्नयन कर बंद करने,

(27) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की जिला सिवनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(28) श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सदस्य की मुरैना जिला के क्वारी नदी पर बना स्टाम्प डेम बरसात में वह जाने,
(29) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिला असपतालों में अव्यवस्था होने,
(30) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के पाला पीड़ित कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने,
(31) श्री मोती कश्यप, सदस्य की रीवा जिले की क्योटी मुख्य नहर का पानी महाना नदी में छोड़े जाने,
(32) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना के माधवगढ़ में आराजी भूमि पर कब्जा किये जाने,
(33) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की कटनी के बहोरी बंद जल संसाधन कार्यालय के कर्मचारी को निलंबित किये जाने,
(34) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य की शिवपुरी में नवीन महिला पोलेटेक्निक खोले जाने,
(35) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की प्रदेश में प्रवर श्रेणी प्राध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ न मिलने,
(36) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की बीना में सिंचाई योजनाओं का कृषकों को लाभ न मिलने,
(37) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य की भोपाल की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं पर राजस्व अधिकारी द्वारा मनमानी करने,
(38) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के मोहगांव में पशु चिकित्सालय न होने,
(39) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा के ग्राम कुसमौदा निवासी एक बालक की संदिग्ध मौत होने,
(40) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम जैदा स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर के जले होने,
(41) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य की झाबुआ एवं धार जिले में छात्रावासों की कमी होने,
(42) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की पुलिस थाने में जप्त वाहनों का रख-रखाव ठीक से न होने,
(43) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की भोपाल में रायसेन की सड़क निर्माण में विलंब होने,
(44) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की सागर संभाग में किसान निधि से सड़क निर्माण के पूर्ण कार्य न कराये जाने,
(45) श्री धरमू सिंग सिरसाम, सदस्य की चिकित्सकों के नियमितीकरण में भ्रष्टाचार होने,
(46) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर की ग्राम पंचायत नेवरा द्वारा लंबित भुगतान न किये जाने,
(47) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की भोपाल के नीलबड़ में एक ही मीटर से कई घरों को बिजली दी जाने,
(48) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की भोपाल के तुलसी नगर क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य होने,
(49) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों से घटिया किस्म का अनाज वितरण किये जाने,
(50) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने,
(51) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की अशोक नगर के मुंगावली से ललितपुर सड़क का निर्माण न होने,
(52) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की प्रदेश के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति न दी जाने,
(53) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की खरगोन जिले के नागरिकों को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने,
(54) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर के ग्रामों में ट्रान्समीटर जले होने,
(55) श्री रोडमल राठौर, सदस्य की उज्जैन के ग्राम रूपाखेड़ी में पुलिस चौकी खोले जाने,
(56) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य की मुरैना में जय दुर्गे सेल्स कंपनी द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री होने,
(57) श्री पुरूषोत्तम दांगी,सदस्य की जिला राजगढ़ की ग्राम पंचायत गिन्दोर मीना से खांखरा तेजा सड़क पर पानी की निकासी न होने,
(58) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष सदस्य की सीधी जिले के बघवार निवासी युवक की हत्या होने,
(59) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य की धार के पीथमपुर की कम्पनी में सिलेन्डर फटने से महिलाओं की मृत्यु होने,
(60) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा के धनवार में ट्रान्सफार्मर खराब होने,
(61) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन जिले के सांची क्षेत्र के अनेक ग्रामों में विद्युत संकट होने,
(62) श्री बालाराम बच्चन, सदस्य की बड़वानी के ग्राम पानसेमल में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार होने,
(63) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 12वीं की परीक्षा का समय विवरण बदला जाना,
(64) श्री रणवीर जाटव, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में नहरों की मरम्मत के नाम पर अनियमितता होने,
(65) श्री देवी सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम साकड में सिंचाई तालाब के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने,
(66) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में नर्मदा पाईप लाईन डालने में धार्मिक स्थल बाधक बनने,
(67) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की दतिया के ग्राम लिलवारी में अवैध उत्खनन होने,
(68) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की भोपाल के परी बाजार के शासकीय आवासों में विद्युत कटौती की जाने,
(69) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में दसवीं परीक्षा के मूल्यांकन में अनियमितता होने
(70) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की सिंध परियोजना में भ्रष्टाचार होने,

संबंधी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने उनके विभाग की अधिसूचना, दिनांक 22 जून, 2011 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 53 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें क्रमशः प्रथम 8 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध मे सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जाऐगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जयेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने सिवनी जिले के अन्तर्गत बेनगंगा नदी पर बनाया गया उच्च स्तरीय पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पारस सकलेचा, मानवेन्द्र सिंह तथा आरिफ अकील सदस्यगण ने प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितता होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) सर्वश्री कमल पटेल तथा विजयपाल सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने हरदा जिले में गेहूं खरीदी के भुगतान में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगणों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने, होशंगाबाद जिले के डोंगरी क्षेत्र में स्लम हेतु छोड़ी गई भूमि को राजस्व अभिलेख में अंकित न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री पुरूषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्यगण ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ मुख्यालय पर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर में पेंशन भोगियों को पेंशन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मनोहर ऊंटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) डॉ. बाबूलाल वर्मा तथा श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्यगण ने शाजापुर जिले के अरनियाकला से तिलावद ग्राम के रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य ने देवास जिले की काली सिंध वृहद परियोजना से अनेक ग्राम डूब से प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (9) से (53) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले की जनपद पंचायत राहतगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दुकान निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(10) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर तथा पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण की प्रदेश में सेवा निवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(11) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री के.पी. सिंह, सदस्यगण की ग्वालियर की चिटफंड कम्पनियों द्वारा निवेश की राशि हड़पी जाने संबंधी सूचना तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में लूटपाट की अनेक घटनाएँ घटित होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(13) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, पुरुषोत्तम दांगी तथा कुंवर विक्रम सिंह, सदस्यगण की राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की नगर निगम भोपाल द्वारा विकास शुल्क की अधिक वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के मुलताई में पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरुषोत्तम दांगी तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत ब्लेक बोर्ड के कलर पुताई में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सीहोर जिले में काले हिरणों का अवैध शिकार किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम जीयाजीगढ़ में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(19) सर्वश्री संतोष जोशी, राजकुमार उरमलिया तथा रामगरीब कोल, सदस्यगण की जबलपुर जिले के अनेक ग्रामों में अवैध खनिज आयरन का उत्खनन होने की ओर राज्य खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य।

(20) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की दमोह जिले की हिनोतिया पुलिस द्वारा की गई पिटाई से एक युवक की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण की प्रदेश मे मोरों की उचित देखभाल न होने से मोरों की मौत होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(22) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण की होशंगाबाद जिले के तवा बांध में राखड़ जमा होने से भराव क्षमता कम होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत तथा पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण की भिण्ड जिले के लहार में पुजारी की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(24) डॉ. गोविन्द सिंह तथा पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की छिंदवाड़ा जिले के वन परिक्षेत्र बटकाखापा में सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(25) सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी तथा आरिफ अकील, सदस्यगण की प्रदेश में नसबंदी लक्ष्य को पूरा करने हेतु कुंवारों की नसबंदी किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर में कृषकों को खाद न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के गणेशपुरा तालाब से पानी की चोरी होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह तथा पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की प्रदेश में कृषकों को खाद-बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री अजय सिंह, सदस्य की सीधी जिले की महान परियोजना की नहर क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल में एक व्यापारी के घर लूट की घटना होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले की नागदा पुलिस द्वारा निर्दोष युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी उत्पादन वन मंडल क्षेत्र में मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश में इन्ट्रीग्रेटेड हाऊसिंग स्लम डेव्हलपमेंट स्कीम के तहत चल रही योजना असफल होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश में कृषकों को मक्के का बीज महंगे दामों में दिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य की कसरावद नगर में विद्यालय भवन की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री अजय सिंह, सदस्य की रीवा जिले के चयनित हितग्राहियों को डीजल पंप एवं विद्युत पंप न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(38) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, मूल सिंह तथा शिवनारायण मीना, सदस्यगण की गुना मुख्यालय के ग्राम पाटई में सिक्ख संत का अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खाद्, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(40) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम लाड़पुरा में मनरेगा के तहत कूप निर्माण में फर्जी आहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(41) श्री प्रदीप जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले की बंजर नदी परियोजना में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(42) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबोह में पदस्थ चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के छात्रावास में सामान खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(45) श्री संतोष जोशी, सदस्य की गुना जिले के उकावद पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(46) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के केवलारी में अम्बेडर सामुदायिक भवन का अपूर्ण निर्माण होने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के पशुपालन केन्द्र रतौना द्वारा पशुओं हेतु भूसा खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य।

(48) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण की भोपाल के कल्पना नगर में आवास आवंटन में शासन को हो रही हानि संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(49) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य की मुरैना जिले में फर्जी मुठभेड़ बनाकर युवकों की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(50) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की गुना में एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(51) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य की धार जिले के पटवारी हल्का 15 स्थित शासकीय भूमि का विक्रय होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा प्रिमियम की राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य।

(53) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के कटंगी में एक परिवार के साथ मारपीट व अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

5 . प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया कि -

1. सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, सदस्यगण तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री तथा डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण द्वारा भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र राज एक्सप्रेस के संपादक श्री अरूण सहलोत एवं संवाददाता श्री रविन्द्र जैन के विरूद्ध।
2. श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध।
3. श्री गिरिजाशंकर शर्मा, श्रीमती नीता पटेरिया, सर्वश्री मोती कश्यप एवं अंतर सिंह आर्य, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध।
4. श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती ललिता यादव, श्रीमती नीता पटेरिया एवं श्री संतोष जोशी, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध।
5. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नगर निरीक्षक थाना लहार जिला भिण्ड श्री इंद्रवीर सिंह चौहान के विरूद्ध।

संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैः-

1. सर्वश्री बाबूलाल वर्मा, भगत सिंह नेताम, राम किशोर कावरे, दिलीप जायसवाल एवं विजयपाल सिंह, सदस्यगण विधान सभा द्वारा कांग्रेस के कतिपय सदस्यों के विरूद्ध।
2. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, यशपाल सिंह सिसोदिया एवं हरेन्द्रजीत सिंह, सदस्यगण द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता समिति एवं राज एक्सप्रेस के संवाददाता के विरूद्ध।
3. श्री हरेन्द्रजीत सिंह एवं अन्य सदस्यगण द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री अजय सिंह, हेमराज सिंह कल्पोनी, जेबियर मेड़ा एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण के विरूद्ध।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम शाहपुर को उप तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(ख) ग्राम सेमरिया में शासकीय कालेज की स्वीकृति दिलाये जाने तथा

(ग) ग्राम बोदा, मनकहरी के मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम लहागांव, पड़रहाई तालाब का विस्तारीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम जूरा के बड़ा तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,

(ग) ग्राम तिंदूहटा के नया तालाब का विस्तारीकरण किये जाने तथा

(घ) ग्राम सुकवारी के हनुमान तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,

(3) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की अनूपपुर जिले के -

(क) ग्राम अमदरी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने तथा

(ख) ग्राम पोड़की के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम डिरगुवां से जेरोन तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम जीरोन से मोहनगढ़ तक मार्ग निर्माण किये जाने तथा

(ग) ओरछा से जामनी नदी के बीच पुल/पुलिया निर्माण किये जाने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) तहसील रीठी के कृषकों को सूखा राहत राशि दिलाये जाने तथा

(ख) ग्राम बिलहरी के हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड प्रदान किये जाने,

(6) चौधरी मेर सिंह, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम समसवाड़ा, बाँका -नागनपुर, भिमालगोंदी के हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम नोनीकला, सिरस, मोरखा के मिड़िल स्कूलों का उन्नयन किये जाने तथा

(ग) ग्राम चौरई एवं बिछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की नियमित सेवाएं उपलब्ध कराये जाने,

(7) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम शाहपुर के टिकरी टोला के बिगड़े हुये हैण्ड पंपों की मरम्मत कराये जाने तथा

(ख) ग्राम शाहपुर के टिकरी टोला में नया विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(8) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम मगरोनी आमोल पढ़ा में विद्युत सब स्टेशन का कार्य प्रांरभ कराये जाने तथा

(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर शहर के वार्ड़ क्रमांक 15 की सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बालाराम बच्चन

(2) श्री पारस सकलेचा

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

सभापति महोदय (श्री रामलखन सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(3) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से सिंगरौली तक प्रातःकालीन एवं सिंगरौली से जबलपुर तक सायंकालीन इन्टर-सिटी ट्रेन चलाई जाय.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामलल्लू वैश्य

(2) कुंवर सिंह टेकाम

(3) श्री विश्वामित्र पाठक

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल विनियामक संस्था का गठन किया जाय जो निजी अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सुविधा और इसके बदले ली जाने वाली फीस का युक्तियुक्त पूर्ण निर्धारण कर सके."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विश्वास सारंग

(2) श्री श्रीकांत दुबे

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

(6) श्री अजय यादव

(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

(8) श्री पारस सकलेचा

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि ग्वालियर स्थित बंद जे.सी. मिल के मजदूरों को उनकी देनदारी का भुगतान मिल की भूमि बेच कर किया जाय".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

(2) श्री के.पी. सिंह

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य द्वारा अशासकीय संकल्प को पारित करने के पूर्व मत विभाजन की मांग की गई।

संकल्प पर मतदान हुआ। संकल्प को पारित करने के पक्ष में 15 मत तथा विपक्ष में 43 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(4) श्री के.पी.सिंह, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -" सदन का यह मत है कि शिवपुरी जिले कि पिछोर खनियाधाना तथा करेरा तहसील एवं अशोक नगर जिले की चंदेरी तहसील को बुंदेलखंड पैकेज में शामिल किया जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी.सिंह

(2) राव देशराज सिंह यादव

(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(5) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि प्रदेश में पूर्णतः या आंशिक रूप से शराबबंदी करने के संबंध में नई आबकारी नीति एवं महिला नीति का निर्धारण किया जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. कल्पना परुलेकर,

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(3) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगणों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

10. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किये गये :-

मध्यप्रदेश विधान सभा का यह पावस सत्र जो दिनांक 11 जुलाई, 2011 को प्रारम्भ हुआ था, अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। 12 दिवसीय इस सत्र में 9 बैठकें सम्पन्न हुई और अनेक विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के कार्य संपादित हुए। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं 10 शासकीय विधेयक पारित हुए। इस सत्र में कुल 2666 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें 1593 तारांकित एवं 1073 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 653 सूचनाएं प्राप्त हुई। सदन में 122 याचिकाएं प्रस्तुत हुई। सदन ने 5 अशासकीय संकल्प एवं एक स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

यह सत्र सत्रावधि के अधिकतम समय के सदुपयोग की मिसाल बना, समय बहुत कम जाया हुआ। अधिकतम समय जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई तथा सभी पक्षों को पूरे अवसर मिले एवं कटुता के क्षण नगण्य आये। यह सत्र इस विधान सभा की शानदार परंपराओं का अनुगामी रहा है। संसदीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि दलभेद और मतभेद के बावजूद व्यापक लोकहित के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का विकास एवं जनकल्याण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विधायी सदनों में हम स्वयं के लिए चुन कर नहीं आते। हम समाजसेवा और जनसेवा के संकल्प के साथ अपने निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। राजनीति हमारा पेशा नहीं सेवा की भावना है और मुझे यह कहने में गर्व होता है कि इस विधान सभा की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप माननीय सदस्य उसी भावना के साथ पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

वस्तुतः संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की आवाज भी सदन में सुनाई दे और शासन प्रशासन द्वारा उन्हें दूर करने के लिए तत्परता से उद्यम भी किया जाए। यह व्यवस्था लोक कल्याण के लिए संचालित है और हमारा यह सौभाग्य है कि इस व्यवस्था का एक अंग होते हुए हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। सदन के सदस्य और जनता के नुमाइंदे होने के नाते हमारा भी यही नैतिक दायित्व है कि इस व्यवस्था के विकास में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कार्य व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित करें।

इस सत्र के संचालन में सदन के माननीय नेता, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका और सभी माननीय सदस्यों ने मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद् देता हूँ जिन्होंने अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए विधान सभा की पल-पल की कार्यवाही जनता तक पहुँचाई। शीतकालीन सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। मैं इस अवसर पर अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस और आने वाले पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद्।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामलखन सिंह, सदस्य तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

11. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 5.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2011